



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230791
CG-DL-E-28102021-230791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]
No. 622]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 770(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:—

“3. स्नेहक तेल और ग्रीज के प्रसंस्करण और भंडारण पर निर्बंधन.—कोई व्यक्ति, इस आदेश के अधीन उसे प्रदत्त विधिमान्य अनुज्ञप्ति की निबंधनों और शर्तों के अधीन और उसके अनुसरण के सिवाय प्रसंस्कर्ता का कारबार नहीं करेगा:

परंतु स्नेहक तेल और ग्रीज के केवल खुदरा विक्रय या पुनःविक्रय को ही ऐसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी।”।

[फा. सं. एम-11011(13)/3/2021-वितरण-पीएनजी]

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 233(अ), तारीख 20 मार्च, 1987 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. संख्यांक 373(अ), तारीख 24 मार्च, 1988 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2021

G.S.R. 770(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987 namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) (Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987, for clause 3, the following clause shall be substituted, namely:-

“3. **Restriction on processing and storage of lubricating Oils and Greases.**—No person shall carry on the business of the processor except under and in accordance with the terms and conditions of a valid licence granted to him under this Order:

Provided that only the retail sale or resale of lubricating Oils and greases shall be exempt from the requirement of such licence.”.

[F. No. M-11011(13)/3/2021-Distribution-PNG]

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 233(E), dated the 20th March, 1987 and last amended *vide* number G.S.R. 373(E), dated the 24th March, 1988.